

Papers laid on the Table of House by Ministers/Members

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5260/18/25]

- (2) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड. की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

- (एक) संरक्षित स्मारक ?झांसी किला, तहसील और जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश? के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

[Placed in Library, See No. LT 5261/18/25]

- (दो) संरक्षित स्मारक ?शेर शाह का मकबरा प्लॉट संख्या 81 (1929-30 में सर्वे किया गया), टैंक प्लॉट संख्या 82 (1929-30 में सर्वे किया गया), इसकी दीवारें प्लॉट संख्या 76, 83 और 85 (1929-30 में सर्वे किया गया); घाट (प्लॉट संख्या 73) (1929-30 में सर्वे किया गया), उत्तरी गेटवे और कॉजवे के किनारे कियोस्क (प्लॉट संख्या 78, 79 और 80) (1929-30 में सर्वे किया गया); शेर शाह के मकबरे के पश्चिम में गेटवे (दिल्ली दरवाजा) जिसके चारों ओर 23 फीट जगह है (गांव करपुरवा का प्लॉट संख्या 404, थाना संख्या 127 कैडस्ट्रल सर्वे 1911-12), सासाराम थाना संख्या 125, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार? का राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

[Placed in Library, See No. LT 5262/18/25]

- (तीन) संरक्षित स्मारक ?महरौली, दिल्ली में जहाज महल? के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

[Placed in Library, See No. LT 5263/18/25]

- (चार) संरक्षित स्मारक ?रेजीडेंसी रोड पर नील गेट तथा बेगम हजरत महल पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में विक्टोरिया मेमोरियल? के राष्ट्रीय

स्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम 2025 ।

[Placed in Library, See No. LT 5264/18/25]

(पांच) संरक्षित स्मारकों ?प्राचीन मंदिरों का एक समूह जिसमें शिव का मुख्य मंदिर और सत्रह सहायक मंदिर हैं, बैजनाथ या वैद्यनाथ, कत्यू, परगना दानपुर, तहसील और जिला अल्मोड़ा (वर्तमान में तहसील ? गरूड़, जिला ? बागेश्वर), उत्तराखंड? के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025 ।

[Placed in Library, See No. LT 5265/18/25]

(छह) संरक्षित स्मारक ?कानपुर जिले में बितूर में टीला, बितूर, जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश? के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025 ।

[Placed in Library, See No. LT 5266/18/25]

(सात) संरक्षित स्मारक "खंब बाबा (हेलिओडोरस स्तंभ) विदिशा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025

[Placed in Library, See No. LT 5267/18/25]

(आठ) संरक्षित स्मारक ?कट्टाकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल? के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025 ।

[Placed in Library, See No. LT 5268/18/25]

(नौ) संरक्षित स्मारक ?एय्याल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल? के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025 ।

[Placed in Library, See No. LT 5269/18/25]

(दस) संरक्षित स्मारक- "लोहांगी हिल कैपिटल, विदिशा, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025 ।

[Placed in Library, See No. LT 5270/18/25]

on behalf of Shri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the Table: -

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS), Odisha, Bhubaneswar, for the year 2024-2025.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS), Odisha, Bhubaneswar, for the year 2024-2025.

[Placed in Library, See No. LT 5271/18/25]

- (2) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Manipur, Imphal, for the years 2022-2023 and 2023-2024.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Manipur, Imphal, for the years 2022-2023 and 2023-2024.

- (3) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 5272/18/25]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Arunachal Pradesh, Itanagar, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Arunachal Pradesh, Itanagar, for the year 2023-2024.

- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 5273/18/25]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Mizoram, Aizwal, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Mizoram, Aizwal, for the year 2023-2024.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 5274/18/25]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/258 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/259 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अर्हताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/264 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकाल्पिक विनिधान (निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/265 में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/268 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/271 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पास्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/272 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियों प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/260 प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/262 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विनिधानकर्ता निवेशक और शिक्षा निधि) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/256(ई) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/216 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2022 जो दिनांक 22 अगस्त, 2022 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/94 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/263 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विनिधान (निवेश) सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 25 नवम्बर, 2025 की अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/278 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 25 नवम्बर, 2025 की अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/277 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ग्यारह) और (बारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5275/18/25]

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/275 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5276/18/25]

(4) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5277/18/25]

(5) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5278/18/25]

- (6) भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2025 के अनुसार पचपनवें मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5279/18/25]

- (7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.847(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गन्ने के सीरा (एचएस 1703 10 00) पर 50% निर्यात शुल्क हटाने और कच्चे जैतून के पाम ऑयल (एचएस 1510 10 00) पर बीसीडी को 35% से घटाकर 15% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 584 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 561 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि.643(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि.644(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि.645(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 9 मई, 2025 की अधिसूचना संख्या

29/2025-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.717(अ) जो दिनांक 25 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.728(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-ईएफटीए (स्विट्जरलैंड) के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों की पहली किश्त को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5280/18/25]

(आठ) सा.का.नि.798(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग के अंतर्गत आने वाले आयात पर पीली मटर (एचएस 0713 10 10) पर 30% शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.729(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत ईएफटीए (नॉर्वे) के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों की पहली किश्त को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.730(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत ईएफटीए (आइसलैंड) के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों की पहली किश्त को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.799(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.781(अ) जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मौजूदा सीमा शुल्क छूट

अधिसूचनाओं को एक अधिसूचना में विलय करने करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.782(अ) जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एआईडीसी, स्वास्थ्य उपकरण और एसडब्ल्यूएस अधिसूचना में संशोधन करना है ताकि उन्हें अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के साथ संरेखित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 794 (अ) जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सोने और चांदी के आभूषणों और चांदी की वस्तुओं के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक की सभी उद्योग दरों (एआईआर) के संशोधन के लिए दिनांक 20.10.2023 की अधिसूचना संख्या 77/2023-कस्टम (एनटी) में संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5281/18/25]

(8) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.665(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुसंधित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.667(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुसंधित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी छूट से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.671(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 17/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं हैं तथा जो उन सेवाओं की जीएसटी श्रेणियों से संबंधित है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक

कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा, जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुशंसित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.664(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुशंसित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.667(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन करना है तथा जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुशंसित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी छूट से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.670(अ) जो 17 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 के अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उन सेवाओं की श्रेणियों से संबंधित है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.642(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017 ? एकीकृत कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.646(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017 ? संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.660(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जो 28 जून, 2017 की अधिसूचना

संख्या 2/2017 ? केंद्रीय कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.661(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जो 28 जून, 2017 के अधिसूचना संख्या 2/2017 ? एकीकृत कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5282/18/25]

(ग्यारह) सा.का.नि.662(अ) जो 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 के अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.647(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5283/18/25]

(तेरह) सा.का.नि.650(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 8/2018-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.653(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 21/2018- केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि.656(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा अध्याय 68 और 69 के तहत कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.648(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना

संख्या 3/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.651(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 9/2018-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।।

(अठारह) सा.का.नि.654(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 22/2018-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.657(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा अध्याय 68 और 69 के तहत कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.649(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 3/2017 ? संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5284/18/25]

(इक्कीस) सा.का.नि.652(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 8/2018 ? संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.655(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 21/2018 ? संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.658(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा अध्याय 68 और 69 के तहत कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चौबीस) सा.का.नि.663(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017 ? केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुसंधित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) सा.का.नि.666(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017 ? केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुसंधित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी छूट से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सा.का.नि.669(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उन सेवाओं की श्रेणियों से संबंधित है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्ताईस) सा.का.नि.784(अ) जो दिनांक 24 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय इसे अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के साथ संरेखित करना है, ताकि दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 27/2018-एकीकृत कर (दर) में परिणामी संशोधन किए जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अट्ठाईस) सा.का.नि.786(अ) जो दिनांक 24 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय इसे अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के साथ संरेखित करना है, ताकि दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 26/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में परिणामी संशोधन किया जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतीस) सा.का.नि.641(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 के अधिसूचना

संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि.783(अ) जो दिनांक 24 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय इसे अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के साथ संरेखित करना है, ताकि दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 26/2018-केन्द्रीय कर (दर) में परिणामी संशोधन किए जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5285/18/25]

(9) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.659(अ), जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5286/18/25]

(10) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.562(अ) जो दिनांक 19 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीजीटीआर के अनुरोध पर यूरोपीय संघ और सऊदी अरब में उद्भूत या वहां से आयातित 'टोल्यूनि डिल्सोसायनेट (टीडीआई)' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क 1 मार्च, 2026 तक 3 माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.563(अ) जो दिनांक 19 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से आयातित 'फ्लोरोएल्सास्टोमर्स (एफकेएम)' के आयात पर 26 फरवरी, 2026 तक 3 महीने की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.793(अ) जो दिनांक 27 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित 'अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में दिनांक 11.11.2021 की

अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) में संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.827(अ) जो दिनांक 7 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी समापन समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग में उद्भूत या वहां से निर्यातित "50% से अधिक फ्लैक्स सामग्री वाले फ्लैक्स या लिनन फैब्रिक" पर प्रतिपादन शुल्क 5 वर्ष की अवधि तक लगाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.836(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित ?मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों? पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.851(अ) जो दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड में उद्भूत या वहां से आयातित 'लिविड इपॉक्सी रेजिन' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5287/18/25]

(11) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 20 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचओ:एचआरओपीएस:117:2567(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ़ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 18 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचओ:टीबीडी:25-26:235(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एएक्स1/एसटी/ओएसआर/120/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचआर एंड पीआरडब्ल्यू आईआरवी आईआरएंडपीएस 228ए पीपी 1543 2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सीओ:एचसीएम:आरबीडी:2025-26:621(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5288/18/25]

(छह) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीईएन/01/2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) इंडियन ओवरसीज बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचआरएमडी/पीईएन/001/2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचओ: पेंशन/विविध/2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 12 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएसबी/ पीईएन/अमेंड/1/2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो 14 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचओ/पीएसडी/पीईएन/ 2025-26/147(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो 20 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. यूबीआई एचआर 19048(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5289/18/25]

(12) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो 15 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/05/01/0025/2017- एचआर में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 जो 16 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5290/18/25]

(13) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5291/18/25]

(14) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5292/18/25]

(15) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5293/18/25]

(16) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5294/18/25]

(17) (एक) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5295/18/25]

(18) (एक) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलूरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलूरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5296/18/25]

(19) (एक) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5297/18/25]

(20) (एक) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5298/18/25]

- (21) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5299/18/25]

- (22) (एक) राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5300/18/25]

- (23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 30.06.2025 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 30.06.2025 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5301/18/25]

- (ख) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालिंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 30.09.2025 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालिंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 30.09.2025 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5302/18/25]

- (ग) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5303/18/25]

- (घ) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5304/18/25]

- (24) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2025 जो 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/257 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/261 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2025 जो 24 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2025/269 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो 24 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2025/270 में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/276 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025 जो 18 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2025/273 में प्रकाशित हुए थे।
- (25) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (भारत और आईएफटीए देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत माल के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2025 जो दिनांक 30 सितम्बर 2025 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.725(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5305/18/25]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

- (1) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (1) और
- (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ.4920(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14कग के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त में निहित शक्तियों को संबद्ध अंचल/क्षेत्र/जिला कार्यालय की अधिकारिता वाले अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा भी प्रयोग किए जाने को प्राधिकृत किया गया है।
- (दो) कर्मचारी (पेंशन) संशोधन स्कीम, 2025 जो दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.791(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (तीन) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2025 जो दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.792(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (चार) का.आ.4921(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, उन अधिकारियों को भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियोक्ताओं से शास्ति के रूप में ऐसी नुकसानी वसूल करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- (पाँच) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2025 जो दिनांक 10 अक्टूबर 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.749(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 5306/18/25]

- (2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन, नियम 2024 जो भारत के राजपत्र में दिनांक 26 फरवरी 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.134(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5307/18/25]

- (3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या फा.सं. एन-12011/1/2023-पीएंडडी जो भारत के राजपत्र में दिनांक 28 अप्रैल 2025 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 01.07.2024 से 30.06.2026 की अवधि के लिए शिथिल पात्रता शर्तों तथा वर्धित राहत दर सहित बढ़ाने के निर्णय को अधिसूचित किया गया है।

- (4) उपर्युक्त मद संख्या (2) और (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5308/18/25]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE;
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN**

SINGH): I rise to lay on the Table: -

- (1) A copy of the Notification No. S.O.4685(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 15th October, 2025, notifying an area extending from 0 kilometer to 3.45 kilometers from the boundary of the Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary in Kinnaur district in the State of Himachal Pradesh as the Rupi Bhaba Eco-sensitive Zone issued under Section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986.
- (2) A copy of the Environment (Protection) Seventh Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.612(E) in Gazette of India dated 10th September, 2025 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- (3) A copy of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.593(E) in Gazette of India dated 31st August, 2025 under sub-section (2) of Section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

[Placed in Library, See No. LT 5309/18/25]

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
 - (एक) सा.का.नि. 703(अ), जो 22 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.

490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा दिनांक 17 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 849(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 25 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 104/45/लेखा-1-(क)प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5310/18/25]

(2) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, जो दिनांक 1 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/76/2025 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5311/18/25]

(3) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए काउंसिल ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.जी/20-सीडब्ल्यूए/9/2025 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5312/18/25]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 549 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 26 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 579 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 4 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 603 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 3 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 811 (अ) में

प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 5313/18/25]

- (5) (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5314/18/25]

- (6) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5315/18/25]

- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3528(अ), जो दिनांक 30 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एक कंपनी अर्थात् श्री नारायणी (कुंभकोणम) निधि लिमिटेड (सीआईएन: U74999TN2017PLN120244) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एनओ 41/41-ए, श्री नारायणी अनुग्रह, गांधी पार्क उत्तर (सारंगापानी पूर्व वडमपोक्की स्ट्रीट), कुंभकोणम, तमिलनाडु 612001 में है, को एक "निधि" के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 5316/18/25]
